

## कार्यालय जिलाधिकारी शामली।

संख्या- **332** / 265(1)-जि0आ0आ0 / व्यवस्थापन / शामली / 2019-20 / दिनांक **17-5-19**

### ई-टेंडर सम्बन्धी विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जनपद शामली में पंचम चरण के पश्चात् अव्यवस्थित देशी शराब की 07 दुकानों एवं बीयर की 01 फुटकर दुकान का व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या 5581-5656/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2019-20 दिनांक प्रयागराज मई 16, 2019 के द्वारा जारी निर्देशानुसार ऑन-लाइन ई-टेंडर/ऑफर मांगकर किया जायेगा। ऑनलाइन ई-टेंडर/ऑफर आमंत्रण हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित है :-

1-	Tender publishing date	17.05.2019 at 15:30
2-	Document download start date	17.05.2019 at 15:30
3-	Document download end date	25.05.2019 at 09:00
4-	Pre bid meeting date	20.05.2019 at 11:00
5-	Bid submission start date	17.05.2019 at 17:30
6-	Bid submission closing date	25.05.2019 at 09:30
7-	Technical bid opening date	25.05.2019 at 10:00
8-	Financial bid opening date	25.05.2019 at 16:00
9-	The place of bid opening	Collectrate, Sabhagar, Shamli
10-	Tender inviting officer	Collector, shamli

1. वर्ष 2019-20 हेतु मदिरा की दुकानों के छठे चरण का व्यवस्थापन ई-टेंडरिंग प्रणाली के अनुसार चतुर्थ चरण में निर्धारित न्यूनतम वार्षिक एम0जी0क्यू0/वार्षिक लाइसेंस फीस पर 40 प्रतिशत की कमी कर पुनः निर्धारित न्यूनतम वार्षिक एम0जी0क्यू0/वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर ऑफर मांग कर किया जायेगा। देशी मदिरा की दुकानों का निर्धारित न्यूनतम वार्षिक एम0जी0क्यू0 एवं बीयर दुकानों के निर्धारित न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस फीस का विवरण निम्नवत् है :-

देशी शराब

क्र0 सं0	देशी शराब दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2019-20 हेतु छठे चरण में निर्धारित एम0जी0क्यू0 (38 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) (रु0ली0में)	वर्ष 2019-20 हेतु आगणित बेसिक लाइसेंस फीस (रु0 में)	वर्ष 2019-20 हेतु आगणित प्रतिफल फीस की धनराशि (रु0 में)	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि	वर्ष 2019-20 की निर्धारित धरोहर धनराशि (रु0 में)	निर्धारित प्रोसेसिंग फीस	हेसियत/ धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की न्यूनतम धनराशि (रु0 में)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	शामली नं0-3 (भीमानपुर रोड काटक)	नगर पालिका	56009	1680270	12433998	1243400	168027	18000	2352378
2	हसनपुर लुहारी	ग्रामीण	15471	464130	3434562	343457	46413	18000	649782
3	अहमदगढ़	ग्रामीण	5102	153060	1132644	113265	15306	18000	214284
4	काथला नं0 01 (निकट दिल्ली बड़वा)	नगर पालिका	65044	1951320	14439768	1443977	195132	18000	2731848
5	बिडौली	ग्रामीण	12575	377250	2791650	279165	37725	18000	528150
6	मठी	ग्रामीण	2617	78510	580974	58098	7851	18000	109914
7	खोडसमा	ग्रामीण	3921	117630	870462	87047	11763	18000	164682

बीयर


क्र० सं०	बीयर दुकान का नाम	प्रतिष्ठिति	वर्ष 2019-20 हेतु पुनः निर्धारित लाइसेंस फीस (रु० में)	वर्ष 2019-20 हेतु प्रतिभूति धनराशि (रु० में)	वर्ष 2019-20 हेतु धरोहर धनराशि (रु० में)	हिसाबत प्रमाण पत्र की न्यूनतम धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1	भारसी	ग्रामीण	33000	3300	3300	33000


2. मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर ऑन लाइन ई-टेंडर/ऑफर के माध्यम से किया जायेगा।
3. व्यवस्थापन सम्बन्धित विस्तृत विवरण आबकारी विभाग की वेबसाइट [www.upexcise.in](http://www.upexcise.in) एवं जनपद की वेबसाइट [shamli.nic.in](http://shamli.nic.in) पर भी उपलब्ध रहेगा।
4. आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा/बियर की दुकानों हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार कराना होगा तथा [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकानों हेतु आवेदन कर सकेगा। आवेदक केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं है।
5. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर दुकान हेतु रु० 18000/- प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रक्रिया के रूप में देय होगा। इस पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० भी नियमानुसार देय होगा। प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पर प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी०एस०टी० अनिवार्य रूप से एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग) और सहायक लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश एक्साईज (DEC L AND AAO UPEXCISE PRAYAGRAJ) के पदनाम से पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खंड लखनऊ स्थित बचत खाता संख्या 4483000100050375 में जमा करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खंड लखनऊ शाखा का आई०एफ०एस०सी० कोड PUNB0448300 है।
6. देशी मदिरा की दुकान हेतु सम्बन्धित दुकान के निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित बेसिक लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत तथा विदेशी मदिरा एवं बियर दुकान की लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो कि जिला आबकारी अधिकारी, शामली के नाम बना हो, ही स्वीकार्य किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक धरोहर धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी।
7. प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी०एस०टी० के एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० से भुगतान की बैंक रसीद तथा पूर्व निर्धारित आवश्यक प्रपत्र यथा-सॉल्वेंसी, आयकर वेल्यूवर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि प्रपत्र भी स्कैन कर ई-टेंडर पोर्टल के टेक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करना आवेदक के लिए अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी ई-टेंडर पोर्टल के फाइनेंसियल बिड सेक्शन में अपलोड की जायेगी।
8. मदिरा की दुकानों हेतु प्राप्त आफर में सर्वाधिक वार्षिक एम०जी०क्यू०/वार्षिक लाइसेंस फीस के ई-टेंडर/आफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई-टेंडर/आफर प्राप्त होते हैं, तब जनपद स्तर पर ही मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई-टेंडर/आफर में से एक को चुन कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।

9. देशी मदिरा की दुकान के संदर्भ में स्वीकृत टेण्डर के एम0जी0क्यू0 को 12 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जायेगा। इसी प्रकार विदेशी मदिरा/बियर की फुटकर दुकान के संदर्भ में स्वीकृत वार्षिक लाइसेंस फीस को ₹0 5000/-के अगले गुणांक में निर्धारित किया जायेगा।
10. आवेदक, ऑनलाइन ऑफर प्रकाशन की तिथि तक 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।
11. आवेदक के पक्ष में सम्बन्धित जनपद में यदि कोई दुकान पूर्व में आवंटित हुई हो, तो उसका विवरण आवेदक द्वारा देना अनिवार्य होगा।
12. किसी आवेदक के पक्ष में एक जनपद में सभी प्रकार (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व माडलशाप) की कुल मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी।
13. कोई भी ऑनलाइन ऑफर वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर ही मान्य होगा। आवेदक को ऑन लाइन ऑफर भरने पर बिड एक्नॉलेजमेन्ट प्राप्त होगा। उक्त बिड एक्नॉलेजमेन्ट ही ऑनलाइन आवेदन किये जाने का प्रमाण होगा। उक्त प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर वह निविदा खुलते समय प्रवेश पा सकेगा।

अतः उपरोक्तानुसार दिए गये नियमों एवं शर्तों के अधीन इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ई-टेण्डर प्रणाली/ऑफर दिए जाने के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 20.05.2019 को प्रातः 11:00 बजे कलेक्ट्रेट, परिसर, शामली में अयोजित प्री-बिड मिटिंग में उपस्थित हो सकता है।

उक्त के अतिरिक्त अद्यतन शेष देशी शराब की उपरोक्त 07 फुटकर दुकानों एवं बीयर की 01 फुटकर दुकान का व्यवस्थापन दैनिक आधार पर दिनांक 19.05.2019 से 07 दिवसों तक आगणित देयताओं पर ऑफर प्राप्त कर किया जायेगा। इच्छुक आवेदक दिनांक 18.05.2019 को अपरान्ह 04:30 बजे तक अपने ऑफर सील बन्द लिफाफे में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, फव्वारा चौक, काम्बोज बिल्डिंग, जनपद शामली में प्राप्त करा सकते हैं। प्राप्त ऑफरों को दिनांक 18.05.2019 को अपरान्ह 04:50 बजे कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, शामली में खोला जायेगा।

  
जिला आबकारी अधिकारी,  
शामली।

  
जिलाधिकारी,  
शामली।

संख्या 333-338 /तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित -

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, शामली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड कराते हुए मदिरा दुकानों की ई-टेण्डर व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना अधिकारी, शामली।
3. नाजिर सदर, शामली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कलेक्ट्रेट सभागार, शामली में आवश्यक प्रबन्ध कराने का कष्ट करें।
4. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" व "दैनिक जागरण" एवं "हिन्दुस्तान" जनपद शामली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण के अग्रिम अंक में कम से कम साइज में प्रकाशित कर बिल जिला सूचना अधिकारी, जनपद शामली से सत्यापित कराकर अधोहरस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिला आबकारी अधिकारी,  
शामली।